संख्या-287/2022/1071/001-41-2022-141-budget-2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 12 मई,2022**

विषय:- जनपद शामली के ग्राम गन्देवडा में गंगा नदी एवं यमुना नदी से निकली नहरों के संगम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकास की योजना की तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विष्यक अपने सं0-487/6-1-1/(1198)/2021-22 दिनांक 26-04-2022, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद शामली के ग्राम गन्देवडा में गंगा नदी एवं यमुना नदी से निकली नहरों के संगम स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकास की योजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा गठित किये गये आगणन के क्रम में प्रशासकीय स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	2021-22	संख्या-615/2021/आई/113675/41-1002(001)87/2021 दिनांक 15 नवम्बर,2021	83.30+जी0एस0टी0 (वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमन्य)	41.65 लाख (रूपये इक्तालीस लाख पैसठ हजार मात्र)
2	2021-22	संख्या-176/2022/728/41-2022-141(बजट)/2021 दिनांक28 मार्च, 2022		25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र)

3- तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 26.04.2022 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0 66.65 लाख का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रायोजना की निविदा लागत रू0 71.79 लाख, सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस सहित प्रयोजना की लागत रू0 81.48 लाख+ जी0एस0टी0 आंकलित होती है। इस प्रयोजना पर अवमुक्त धनराशि 66.65 लाख के उपरान्त जी0एस0टी0 छोडकर अवशेष धनराशि रू0 14.83 लाख होती है।

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत प्रयोजना हेतु तृतीय किश्तके रूप में धनराशि रू0 14.83 लाख (रूपये चौदह लाख तिरासी हाजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश दिनांक 15.11.2021 एवं 28.03.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक), उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07-04-2020 शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30.12.2021 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक**,** पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **14,83,000** (रूपये चौदह लाख तिरासी हाजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2022-23** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **044** लेखा शीर्षक **5452801040800** मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**15/2021/**बी-**1-829/**दस-**2021-231/2022,** दिनांक-**30** दिसंबर**, 2021** एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के शासनादेश संख्या: **5/2022/**बी-**1-224/**दस-**2022-231/2022** दिनांक- **29** मार्च **2022** मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, शामली।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
8- रेजीडेण्ट इन्जीनियर, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ/सहारनपुर।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।